तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...
06/5/2024	उपस्थित प्रार्थीगण उपस्थित है। बहस प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.ए. विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मय पालका खेडा प.स. पाल मे स्थित आराजी संख्या 1176 रकबा 0.65 हे. आराजी नम्बर 1160 व 1158 का 1/3 हिस्सा की भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 16 के कब्जे हिस्सेशुदा आ.सं. 1156 के 1/3 भाग की दक्षिणी मेड के सहारे पूर्व से विलकाम आराजी के होते हुए आ.सं. 1156 की दक्षिणी मेड से जो विपक्षी संख्या 13 से 16 के हिस्से व कब्जे मे है उसके आगे 1158 के पूर्वी हिस्से मे से जो आराजी नम्बर 1157 के पश्चिम के कोर्नर पॉईन्ट होते हुए आ जा रहे थे, जिसको विपक्षी संख्या 01 से 16 ने पत्थर की कोट बनाकर रोक दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी स्वंय की आराजी नम्बर 1176 ~~की लगती हुई~~ व 1158 व 1160 का दक्षिणी हिस्सा 1/3 पर नही जाने दे रहे है जबकि आराजी नम्बर 1176 की लगती हुई आराजी नम्बर 1158 व 1160 का 1/3 हिस्सा एक चक बना हुआ है, पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता विपक्षी संख्या 01 से 16 ने पत्थर की कोट बनाकर रोक दिया है। रास्ता नही होने से खेत पर हल बैलगाडी, ट्रेक्टर नही लाने देने से हकाई-जुताई-बुवाई नही होने से खेत खाली पड़े है। अन्य कोई ~~भी~~ वैकल्पिक मार्ग खेतो पर आने जाने का नही है। प्रार्थीगण की ......लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
	की आराजीयात पर पंहुचने का एक मात्र रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 1192 से होते हुए आराजी नम्बर 1156 की दक्षिणी मेड से आराजी नम्बर 1158 के पूर्वी हिस्से आ. नं. 1159 व 1157 के कोर्नर पाइन्ट से आराजी नम्बर 1176 व 1160 मे पंहुचता है, उस रास्ते को विपक्षी संख्या 13 से 16 ने पत्थर की कोट बनाकर बन्द कर दिया है। अतः 20 फीट चौड़ाई व 200 फीट लम्बाई का रास्ता आराजी नम्बर 1156 के दक्षिणी मेड से आ. नं. 1159 व 1157 कोर्नर पाइन्ट आ. नं. 1158, 1176, 1160 तक पहुंचता है दिलाया जावे। उसे रेकार्ड मे इन्द्राज कराया जावे उसकी जो भी प्रतिकर राशि बनती है प्रार्थीगण वहन करने को तैयार हैं। विकल्प मे रास्ते की भूमि के बजाय प्रार्थीगण भूमि विपक्षीगण को देने को तैयार है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 15 की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थीगण द्वारा प्र. पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा. दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक विपक्षी संख्या 15 के बजाय उनके विधिक वारिसान को विपक्षी संख्या 15/1 से 15/4 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया। विपक्षीगण के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार बस्सी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बस्सी द्वारा जरिए क्रमांक/रीडर/2022/485 दिनांक 01 जून 2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) .....लगातार	

तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1176 पर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। मौका अनुसार आ.नं.1192 मे बने गेवल रास्ते से पश्चिम की ओर आ.नं. 1157 की दक्षिण मेड पर होकर प्रार्थीगण आ.नं. 1176 तक जाना चाहते है, जो निकटतम रास्ता होकर अधिक कृषि भूमि का क्षय नही होता है। ग्राम पाल का खेडा की आ.नं. 1192 रकबा 9.75 हे. किस्म मगरी बिलानाम मे से 50 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा 250 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर से दो गुना राशि 54256.25 रुपए तथा आ.नं. 1157 रकबा 0.24 हे. किस्म बीड जो किशनलाल पुत्र डालू 1/5 जाट, नन्दूबाई पत्नी स्व. पृथ्वीराज जाट 1/15 जाट, नानीबाई पुत्री तुलसीराम 1/5 जाट, मनोजकुमार पुत्र पृथ्वीराज 1/15 जाट, शम्भू पुत्र तुलसीराम 1/5 जाट, शान्तिलाल पुत्र पृथ्वीराज 1/15 जाट, हीरा पुत्र तुलसीराम 1/5 जाट सा. पाल के नाम दर्ज रेकार्ड है (जो प्रकरण मे क्रमशः विपक्षी संख्या 1, 8, 5, 7, 4, 6, 3 है) उक्त आराजी मे से 70 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा 350 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर से दो गुना राशि 61954.75 रुपए बनती है इन दोनो आराजी से कुल 600 मीटर प्रस्तावित रास्ता से प्रार्थीगणो की आराजी नम्बर 1176 तक पहुंच सकते है। उक्त रास्ता दिया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी स्वीकार किया जाकर ....आदेशानुसार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण की ग्राम पाल का खेडा की आराजी नं. 1176 पर आने जाने हेतु ग्राम पाल का खेडा की आ.नं. 1192 रकबा 9.74 हे. किस्म मगरी बिलानाम मे से 50 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा 250 वर्गमीटर की डी.एल.सी दर से दो गुना राशी 54256.25 रूपए राज्य कोष मे जमा कराने तथा विपक्षी संख्या 01,08,05,07,04,06,03 के खातेदारी की आराजी नम्बर 1157 रकबा 0.24 हे. किस्म पीड मे से 70 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा 350 वर्गमीटर की डीएलसी दर से दो गुना राशि 61955.75 रूपए का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान किए जाने पर आ.नं. 1192 मे से 250 वर्गमीटर एवं आ.नं. 1157 मे से 350 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि राशि 54256.25 रूपए राज्यकोष मे जमा कराने हेतु ड्राफ्ट तहसीलदार बस्सी के नाम का तथा राशि 61955.75 रूपए भुगतान खातेदारान किशनलाल पुत्र डालू जाट को 12388.95 रूपए, नन्दूबाई पत्नी पृथ्वीराज जाट को 5129.65 रूपए, नानीबाई पुत्री तुलसीराम जाट को 12388.95 रूपए, मनोज कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाट को 5129.65 रूपए, शम्भु पुत्र तुलसीराम जाट को 12388.95 रूपए, शांतिलाल पिता तुलसीराम जाट को 5129.65 रूपए तथा हीरा पिता तुलसीराम जाट को 12388.95 रूपए भुगतान किए जाने हेतु इनके नाम के ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार बस्सी के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करे। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर राज्य कोष मे जमा कराने तथा सम्बन्धित को भुगतान करने हेतु तहसीलदार बस्सी को भिजवाये जावे तथा मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है कि प्रमाणित ---- लगातार [signature] (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

क्रम

प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर राजस्व अभिलेख में अमल हेतु तहसीलदार बस्सी को प्रेषित कर। लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान किए जाने एवं राज्यकोष में राशि जमा कराने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे के अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)